G.M. Office
Receipt On 06/02/19
Singnacher. [signature]
WCL, PKD Area

कार्यालय वनमंडलाधिकारी उत्तर बैतूल(सा0) वनमंडल

07141–234204(कार्यालय), E-Mail -- dfotnbetul@mp.gov.in

क्रमांक/मा0चि0/2019/ 515

बैतूल, दिनांक/22/1/19

प्रति,

महाप्रबंधक,
डब्ल्यू.सी.एल. पाथाखेडा क्षेत्र
पाथाखेडा, जिला बैतूल

विषय :- कोल बियरिंग एरियाज (एक्विजिशन एवं डेव्लपमेंट) एक्ट, 1957 के अनुसार अधिग्रहित की गई भूमि में वर्ष 1980 के अंतर्गत कार्योत्तर स्वीकृति हेतु तवा खान वेस्टर्न कोल फील्ड्स् लिमिटेड, पाथाखेड़ा, जिला बैतूल रकबा 107.816 हे. का प्रस्ताव।

संदर्भ :- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू - प्रबंध) म.प्र. भोपाल का पत्र क्रमांक / एफ. -1/ FP/MP/MIN/20921/2016/3523 दिनांक 13.11.2018

--00--

विषयांतर्गत अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू - प्रबंध) म.प्र. भोपाल के संदर्भित पत्र के साथ संलग्न भारत सरकार पर्यावरण वन एवं एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र क्रमांक / 8-06 / 2018-FC दिनांक 02.11.2018 द्वारा विषयांकित प्रकरण में सशर्त सैद्धान्तिक सहमति जारी की गई है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है।

सैद्धान्तिक सहमति में अधिरोपित समस्त शर्तो का पालन किया जाकर पालन प्रतिवेदन अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू - प्रबंध) म.प्र. भोपाल को भेजा जाना है। अधिरोपित शर्त क्रमांक - 2 (ii) अनुसार आंकलित एन.पी.व्ही. एवं दंड स्वरूप एन.पी.व्ही. की राशि रूपये 8,65,76,248/- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू - प्रबंध) म.प्र. भोपाल से सम्पर्क कर आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त कर जमा किये जाने की व्यवस्था करें।

इसके अतिरिक्त अधिरोपित शर्त क्रमांक - 2 (x) के पालन में Mitigative Measures योजना की राशि, अधिरोपित शर्त क्रमांक - 2 (xi) के पालन में वन्य प्राणी संरक्षण योजना की राशि, शर्त क्रमांक - 2 (xv) पक्षियो के रहवास एवं सुरक्षा प्रबंधन योजना की राशि, शर्त क्रमांक - 2 (xvi) से सेफ्टी जोन क्षेत्र के सीमांकन व्यय की राशि एवं शर्त क्रमांक - 2 (xvii) गैप प्लांटेशन की राशियों का मांग पत्र भेजा जाना है। अत: इस संबंध में योजनायें तैयार कराई जाकर वनमंडल कार्यालय को प्रस्तुत करें, ताकि तदानुसार आंकलित राशियों की मांग की जा सके।

सैद्धान्तिक सहमति में अधिरोपित समस्त शर्तो का पालन कर शर्तवार पालन प्रतिवेदन मय वचन पत्र के वनमंडल कार्यालय को प्रस्तुत करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

[signature]
वनमण्डलाधिकारी
उत्तर बैतूल (सा0) वनमंडल

पृ.क्रमांक/मा.चि./2019/ 516

बैतूल, दिनांक/ 22/1/19

प्रतिलिपि :- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू - प्रबंध) म.प्र. भोपाल की ओर आपके संदर्भित पत्र के तारतम्य में सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

[signature]
वनमण्डलाधिकारी
उत्तर बैतूल (सा0) वनमण्डल

(RP) discuss further ma
7.2.19

PKD:\DFO North File-2006\DM\DM-Latter-01.01.2019 NEW YEAR.doc

Scanned by CamScanner

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष–भू प्रबंध), सतपुड़ा भवन,म.प्र. भोपाल

भोपाल, दिनांक 13/11/18

क्रमांक / एफ–1 / FP/MP/MIN/20921/2016/ 3523

प्रति,

वन मंडल अधिकारी,
(सामान्य) वन मंडल, उत्तर बैतूल,
मध्य प्रदेश।

DM
व.मं.अ. 13/11/18

विषयः– **वन मंडल उत्तर बैतूल के परिक्षेत्र सारनी के PF-340, RF-341, RF-342 एवं RF-343 के रकबा 107.816 हे. वनभूमि में (तवा) भूमिगत कोयला उत्खनन कार्य हेतु मेसर्स वेस्टर्न कोल फील्ड्स लि. को उपयोग पर देने बाबत्।**

संदर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्र. 8-06/2018-FC दिनांक 02/11/2018

उत्तर वनमंडल आवक क्र. 5340 दि. 15/11/18 (म.प्र.)

––0––

भारत सरकार, द्वारा इस परियोजना की संदर्भित पत्र से प्रथम चरण सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई है। सैद्धांतिक सहमति की शर्त संख्या 2(ii) से एन.पी.व्ही. की राशि की मांग आवेदक संस्थान से की जाना है।

2. इस सैद्धांतिक सहमति की शर्त संख्या 2(x) के पालन में Mitigative mesasures योजना की राशि की मांग आवेदक संस्थान से की जाना है।

3. भारत सरकार द्वारा जारी इस सैद्धांतिक सहमति की शर्त संख्या 2(xi) के पालन में वन्यप्राणी संरक्षण योजना की राशि, शर्त संख्या 2(xv) पक्षियों के रहवास एवं सुरक्षा प्रबंधन योजना की रशि, शर्त संख्या 2(xvi) सेफ्टी जोन क्षेत्र के सीमांकन व्यय की राशि, शर्त संख्या 2(xvii) गैप प्लांटेशन की राशियों की मांग आवेदक संस्थान से की जाकर कैम्पा मद में जमा कराई जानी है।

4. वर्तमान में राज्य शासन द्वारा कैम्पा मद में नया खाता खोल लिया गया है। अतः अब भारत सरकार के पोर्टल के माध्यम से भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। यह भुगतान अब मध्य प्रदेश कोषालय के पोर्टल के माध्यम से 8121–00–129–0000 मद में किया जाना है। इस भुगतान को करने के संबंध में विस्तृत प्रक्रिया सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को पृथक से दी जा रही है। यह भुगतान किस प्रकार से किया जायेगा, इसके सम्बन्ध में आवेदक इस कार्यालय से सम्पर्क कर आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त कर सकता है।

5. आवेदक संस्थान से कैम्पा मद तथा राज्य के अन्य मदों में प्राप्त की जाने वाली राशि का मांग पत्र स्वीकृति के लिये इस कार्यालय को तत्काल भेजें। इस कार्यालय द्वारा मांग पत्र पर सहमति देने के बाद इसे भुगतान के लिये आवेदक संस्थान को आपके द्वारा अवगत कराया जावेगा।

6. भारत सरकार द्वारा इस प्रस्ताव में जारी सैद्धांतिक सहमति की प्रति संलग्न है। भारत सरकार द्वारा दी गई स्वीकृति की समस्त शर्तो का पालन प्रतिवेदन आवेदक से प्राप्त कर अपनी सहमति के साथ सीधे इस कार्यालय को प्रस्तुत करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

13/11

(सुनील अग्रवाल)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

Scanned by CamScanner